संख्या–1–45024/32/प्रशासन/2014– 162

महानिदेशालय, भारत तिब्बत सीमा पुलिस

गृह मंत्रालय/भारत सरकार

खण्ड–2, केन्द्रीय कार्यालय परिसर,

लोदी रोड, नई दिल्ली–03

दिनांक:–31/01/2018

//परिपत्र//

विषय– केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत बल के सेवानिवृत्त कार्मिकों को देय किए जाने वाला फिक्सड मेडिकल भत्ता एवं परिवार के सदस्यों को देय चिकित्सा सुविधा से अवगत कराने के संबंध में।

महानिदेशालय, भा0ति0सी0 पुलिस बल में दिनांक–16.01.18 को अपर महानिदेशक, भा0ति0सी0 पुलिस बल की अध्यक्षता में बल की मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, इस बैठक के दौरान बल के सेवानिवृत कार्मिकों को **केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत बल के सेवानिवृत्त कार्मिकों को देय किए जाने वाला फिक्सड मेडिकल भत्ता एवं परिवार के सदस्यों को देय चिकित्सा सुविधा से अवगत कराने के संबंध में** चर्चा की गई एवं निर्देशित किया गया कि बल से निकट भविष्य में सेवानिवृत होने वाले कार्मिकों को उक्त सुविधा से दिए जाने वाले लाभ/योजनाओं के संदर्भ में समस्त वाहिनी/फार्मेशन प्रमुख प्रत्येक माह आयोजित होने वाली सैनिक सभा एवं अन्य माध्यमों से अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि सेवानिवृत कार्मिक एवं उनके परिवारिक सदस्य उक्त सुविधा का लाभ उठा सके।

2. अतः बल की समस्त ईकाईयों/फार्मेशनों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार अपने मुख्यालय से सेवानिवृत्त/सेवारत होने वाले कार्मिकों को सैनिक सभा एवं अन्य माध्यमों से अवगत कराए एवं साथ ही संदर्भित प्रकरण के विषयक स्वास्थय एंव परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पूर्व में जारी कार्यालय ज्ञापन सं0 37-1/2009-C&P/CGHS(P) दिनांक 23.02.2011 जोकि महानिदेशालय, भा0ति0सी0 पुलिस बल द्वारा जारी परिपत्र सं0 256 दिनांक 20.02.14 के तहत प्रकाशित किया गया है। साथ ही समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई करना सुनिश्चित करें ।

Sundeep

उप महानिरीक्षक(प्रशासन)

महानिदेशालय, भा0ति0सी0पुलिस बल

वितरण:–

1. समस्त इकाई/फार्मेशन, भा0ति0सी0 पुलिस बल।
2. उप–सेनानी(प्रशासन) को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ।
3. उप–सेनानी, आई0टी0 सैल को उपरोक्तानुसार सूचना भा0ति0सी0 पुलिस बल की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।